

11/9

पत्रावली पत्र। दुई। वकील प्रार्थी झुंझीरही।  
वार-वार आवाज लगाई गई। वार-वार  
आवाज लगाने पर भी ना तो वकील प्रार्थी  
हाजिर और ना ही प्रार्थी स्वयं हाजिर। अतः  
प्रार्थना-पत्र अन्वार्थ निषेधाज्ञा को अक्षम  
हाजरी अक्षम पत्रों में स्वारीज किया जाता है।  
पत्रावली जैलल कुमार होकर नम्बर ले कम  
हो व वकील वफत हो।

उपखण्ड अधिक  
उद्यमपुरवादी (मुक्त)

